

दिनांक 18.09.2024



शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

सूचना

सभी कर्मचारियों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) से अनुरोध है कि वे 18 अक्टूबर, 2024 तक कर गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित प्रदर्शन में आयकर बचत घोषणा प्रस्तुत करें।

आयकर बचत घोषणा फॉर्म कॉलेज की वेबसाइट ([www.shivajicollege.ac.in](http://www.shivajicollege.ac.in)) पर उपलब्ध है और आपके संबंधित ई.मेल आईडी पर भी मेल किया गया है।

नोट: आयकर अधिनियम के अनुसार, नई कर व्यवस्था सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य है। यदि कोई करदाता पुरानी कर व्यवस्था का चयन करना चाहता है, तो कृपया आयकर घोषणा फॉर्म में उसी विकल्प को टिक करें।

  
(प्रो. वीरेंद्र भारद्वाज)  
प्राचार्य  


Date 18.09.2024

**SHIVAJI COLLEGE, UNIVERSITY OF DELHI**

**NOTICE**

All the employees (teaching and non-teaching) are requested to submit income tax saving declaration in prescribed Performa for the financial year 2024-25 for tax calculations by **18<sup>th</sup> of October, 2024**.

The Income Tax saving Declaration Form is available on college website ([www.shivajicollege.ac.in](http://www.shivajicollege.ac.in)) and also mailed to your respective e.mail id.

**As per Income Tax Act, New Tax Regime is mandatory for all the assesseees. If any assessee wish to opt Old Tax Regime, please tick the option for the same in Income Tax Declaration Form.**

  
(Prof. Virender Bhardwaj)  
Principal

**शिवाजी कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)  
रिंग रोड, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027**

**आयकर घोषणा पत्र 2024-2025**

कर्मचारी आईडी *				एचआरए * के प्रयोजन के लिए पता
कर्मचारी का नाम *				
कर्मचारी पैन नंबर*				
पद				
विभाग:	मोबाइल नं.:	* कर शासन (कृपया विकल्प पर टिक करें)		* नई कर व्यवस्था के तहत अध्याय वीआईए (यानी धारा 80 सी, 80 डी और आदि के तहत), धारा 10 और 24 (1) के तहत कटौती, होम लोन पर ब्याज और अन्य कटौती आयकर नियम के अनुसार प्रदान नहीं की जाएगी।
		पुरानी व्यवस्था		
क्र.सं. नहीं	आइटम (केवल पुरानी व्यवस्था के मामले में लागू)			संलग्न प्रमाण का मूल्य (₹.)
	अध्याय VI A के तहत कटौती			घोषित राशि
एक	धारा 80सी के तहत निवेश 1.5 लाख की दर से सीमित,			
1	जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएफ			
2	लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान			
3	एनएससी में जमा			
4	पब्लिक प्रोविडेंट फंड			
5	प्रिंसिपल लोन (हाउसिंग लोन) चुकोती			
6	मकान के पंजीकरण के लिए पंजीकरण/स्टॉप इयूटी प्रभार का भुगतान			
7	न्यूचुअल फंड			
8	यूटीआई/एलआईसी का यूलिप			
9	सुकन्या समृद्धि योजना			
10	बच्चों की शिक्षा - ट्यूशन फीस			
11	पोस्ट ऑफिस में 5 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट			
12	ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम			
13	केंद्र सरकार की योजना के अनुसार 5 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए सावधि जमा।			
14	स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधि			
15	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड			
16	पेंशन फंड में योगदान			
17	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना			
	धारा 80सी के तहत निवेश की गई कुल राशि			
1	धारा 80सीसीडी (1बी) राष्ट्रीय पेंशन योजना (छूट के लिए 50000 रुपये)			
2	धारा 80सीसीजी-राजीव गांधी बचत योजना			
3	धारा 80 डी - मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम			
4	धारा 80 डीडी - विकलांग आश्रित का चिकित्सा उपचार /			
5	धारा 80 डीडीबी - चिकित्सा उपचार (निर्दिष्ट रोग)			
6	धारा 80 ई - उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज की चुकोती (केवल ब्याज छूट दी गई है)			
7	धारा 80 यू - शारीरिक विकलांगता (अनुमोदित प्रमाण पत्र संलग्न करें)			
8	धारा 80टीए- बचत खाते पर ब्याज			
9	होम लोन पर ब्याज सेल्फ ऑक्जुपाइड <input type="checkbox"/> (प्रमाण पत्र संलग्न करें) किराए पर लें <input type="checkbox"/> (नए ऋण के मामले में, कब्जा पत्र / दस्तावेज / प्रमाण पत्र संलग्न करें) (संयुक्त ऋण खाते के मामले में अनिवार्य रूप से अपना हिस्सा निर्दिष्ट करें अन्यथा सबूत मुझे अस्वीकार कर दिया जाएगा। *			
10	धारा 10 और समकक्ष के तहत छूट			
11	कोई अन्य छूट, यदि कोई हो (आईटी नियम / अधिनियम के अनुसार)			
नोट	कृपया किराया छूट लेने के लिए किराया समझौता, किराया पर्ची और पैन प्रमाण संलग्न करें। यदि किराया राशि 8333 रुपये प्रति माह से अधिक है तो पैन प्रूफ की आवश्यकता होती है			
12	घर के किराए का भुगतान विवरण	राशि	घर के किराए का भुगतान विवरण	राशि

1	मकान का किराया-अप्रैल'24		7	मकान का किराया-अक्टूबर'24	
2	मकान का किराया-मई'24		8	मकान का किराया-नवम्बर 24	
3	मकान का किराया-जून'24		9	मकान का किराया-दिसम्बर'24	
4	मकान का किराया-जुलाई'24		10	मकान का किराया-जनवरी'25	
5	मकान का किराया-अगस्त'24		11	मकान का किराया-फरवरी'25	
6	मकान का किराया-सितम्बर'24		12	मकान का किराया-मार्च'25	

पिछला रोजगार वेतन - रु।

टीडीएस कटता है - रु.

साल के अंत में आवश्यक विवरण

फॉर्म 16 हां/नहीं रु.

फॉर्म 12बीए हां /

1) मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सभी मामलों में सही और सत्य है.

2) घोषणा पत्र प्रस्तुत/प्रस्तुत किए जाने के बाद आगे किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

3) मैं उपरोक्त जानकारी के गलत होने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान / दायित्व के लिए कॉलेज को क्षतिपूर्ति करने का भी वचन देता हूं।

\* हमारे डेटाबेस के अनुसार जानकारी के साथ अनिवार्य क्षेत्रों का संकेत दिया। कृपया उसी को सत्यापित करें और यदि रिक्त है, तो कृपया इस फॉर्म को भरें और प्रस्तुत करें।

दिनांक:

स्थान:

कर्मचारी के हस्ताक्षर:

**Shivaji College (University of Delhi)**  
**Ring Road, Raja Garden, New Delhi-110027**

**Income Tax Declaration Form 2024-2025**

<b>Employee ID *</b>		<b>Address for the purpose of HRA*</b>	
<b>Employee Name *</b>			
<b>Employee PAN No.*</b>			
<b>Designation</b>			
<b>Department:</b>	<b>Mobile No.:</b>	<b>*Tax Regime (Please tick the option)</b>	
		Old Regime	
		* Under New Tax Regime no deduction under Chapter VIA (i.e u/s 80C, 80D and etc.), deduction u/s 10 and 24(1), Interest on Home loan and other deduction shall be provided as per Income Tax Rule.	
<b>Sl. No</b>	<b>ITEMS (Applicable only in case of old regime)</b>	<b>Value of Proof attached (Rs.)</b>	<b>Declared amount</b>
<b>DEDUCTION UNDER CHAPTER VI A</b>			
<b>A</b>	<b>Investment u/s 80C capped @ 1.5 Lac,</b>		
1	GPF/CPF/NPS		
2	Life Insurance Premium Paid		
3	Deposit In NSC		
4	Public Provident Fund		
5	Principal Loan (Housing Loan) Repayment		
6	Registration/Stamp Duty charges paid for registration of HP		
7	Mutual Funds		
8	ULIP of UTI/LIC		
9	Sukanya Samriddhi Scheme		
10	Children Education – Tuition Fees		
11	Amount Deposit in the 5 years time Deposit scheme in Post Office		
12	Group Insurance Scheme		
13	Fixed Deposits for a period of 5 years or More in accordance with the Scheme of Central Govt.		
14	Approved Superannuation Fund		
15	Infrastructure Bonds		
16	Contribution to Pension Fund		
17	Senior Citizen Saving Scheme 2004		
	<b>TOTAL AMOUNT INVESTED IN UNDER SECTION 80C</b>		
<b>B</b>	<b>Sec 80CCD (1b) National Pension Scheme (Rs.50000/- allowed for exemption)</b>		
<b>C</b>	<b>Sec 80CCG-Rajeev Gandhi Saving Scheme</b>		
<b>D</b>	<b>Sec 80D - Medical Insurance Premium</b>		
<b>E</b>	<b>Sec 80DD – Medical treatment/insurance of handicapped dependent</b>		
<b>F</b>	<b>Sec 80DDDB – Medical treatment (specified diseases)</b>		
<b>G</b>	<b>Sec 80E – Repayment of Interest on Loan for higher education (only interest is exempted)</b>		
<b>H</b>	<b>Sec 80U – Physical Disability (Attach approved certificate)</b>		
<b>I</b>	<b>Sec 80TTA-Interest on saving Account</b>		

